डीजी परिपत्र सं0 - 25 /2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जुलाई 25, 2025

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-934/2025 मन्जीत सिंह उर्फ इंदर उर्फ मन्जीत सिंह चन्ना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिये गये निर्देश के अनुपालन में "गिरफ्तारी मेमो" तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमों" नये प्रारूप में तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-934/2025 मन्जीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 77/2024 उपरोक्त के अभियुक्त मन्जीत सिंह उर्फ इंदर उर्फ मन्जीत सिंह चन्ना की गिरफ्तारी के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A / BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा गिरफ्तारी के दौरान हुई इस प्रक्रियात्मक त्रुटि को आधार वनाते हुये अभियुक्त को रिमाण्ड पर दिये जाने के आदेश और गिरफ्तारी को खारिज करते हुये निम्नवत आदेश पारित किया गया है—

> 14. In the instant matter, admittedly, no such effort had been made by the learned Magistrate to ensure adequate legal aid to the accused petitioner and appropriate opportunity of hearing at the time judicial remand. Even the arrest memo does not contain any column regarding grounds of arrest of the petitioner. This very issue is primarily the bone of contention between the parties in the instant matter. Accordingly, this, being a clear non-compliance of the mandate under Section 50 of the Code which has been introduced to give effect to Article 22(1) of the Constitution of India, 1950, we are inclined to set aside the impugned order in view of law laid down by the Apex Court in Prabir Purkayastha (supra), Pankaj Bansal (supra) and Ashish Kakkar (supra).
>
> 15. In such view of the matter, the impugned order dated 26.12.2024 is hereby set aside. The arrest of the petitioner is also quashed.
>
> 16. The petitioner shall be set at liberty, unless required in connection with any other case.
>
> 17. In light of the above, the writ petition is allowed.
>
> 18. Let the order be communicated to Director General of Police, Uttar Pradesh through Registrar General of this Court and accordingly, a circular be issued to all the Commissioners of Police/ SSPs/ SPs for necessary compliance of Section 50 and 50A (now Section 47 and 48 BNSS) in the light of the observations made above.

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A/ BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 में यह व्यवस्था है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण, उसके जमानत प्राप्त करने के अधिकार तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से निकट सम्बन्धी को सूचना देने की आज्ञापक व्यवस्था निम्नवत की गयी है—

47. Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail.

(1)Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest.

(2)Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf.

48. Obligation of person making arrest to inform about arrest, etc., to relative or friend.

(1)Every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district.

(2)The police officer shall inform the arrested person of his rights under sub-section (1) as soon as he is brought to the police station.

(3)An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the State Government may, by rules, provide.

(4)It shall be the duty of the Magistrate before whom such arrested person is produced, to satisfy himself that the requirements of sub-section (2) and sub-section (3) have been complied with in respect of such arrested person.

3- सीसीटीएनएस साफ्टवेयर के अन्तर्गत IIF-III फार्म सं0-6 गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन (Arrest/Court Surrender Memo) का जेनरेट करने का विकल्प उपलब्ध है किन्तु यह प्रपत्र अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त समस्त सूचनायें अंकित करने के बाद सीसीटीएनएस द्वारा generate किया जाता है। वर्तमान में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय मौके पर विवेचकों द्वारा अलग-अलग प्रारूपों में गिरफ्तारी मेमो तैयार किये जाते हैं, जिसमें गिरफ्तारी के समय अनिवार्य रूप से पालन किये जाने वाले प्राविधानों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अंकित करने हेतु कोई विन्दु निर्धारित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान जो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया उसमें अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताये जाने का कोई बिन्दु निर्धारित नहीं था, जिसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुये मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी को अवैध पाया गया और उसे निरस्त कर दिया गया।

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो में अंकित किये जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन कर रिपोर्ट

.......3

प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा गिरफ्तारी मेमो मे अंकित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में विधिक स्थिति तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-3051-3052/2023 पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य, डायरी नं0-42896/2023 प्रबीर पुरकायस्थ बनाम एन.सी.टी. दिल्ली, क्रिमिनल अपील संख्या-621/2025, वीहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य तथा क्रिमिनल अपील संख्या-1518/2025 आशीष कक्कड़ बनाम यू.टी.ऑफ चण्डीगढ़ में विभिन्न तिथियों पर पारित निर्णयों का अध्ययन किया गया तथा इन निर्णयों के आलोक में सी.बी.आई. तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संशोधित किये गये गिरफ्तारी मेमो का अध्ययन किया गया। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का आलेख तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

5- किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का हनन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी किये विना नहीं किया जा सकता, ऐसी दशा में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A / BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन अनिवार्य है।

6- BNSS 2023 की धारा-37 के क्रम में अधिसूचित BNSS नियमावली 2024 के नियम 6 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक या उससे उच्च पद के अधिकारी को जिला कन्ट्रोल रूम व थानों पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने का दायित्व दिया गया है, जिसके अनुपालन में प्रत्येक थाने तथा प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट में इस हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाये। नामित अधिकारी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने के लिए जिम्मेदार होगे तथा संकलित सूचना जिला कन्ट्रोल रूम पर प्रदर्शित की जायेगी। गिरफ्तारी मेमो तैयार करते समय गिरफ्तारी की सूचना नामित अधिकारी को दिये जाने के सम्वन्ध में एक सूचना कॉलम बनाया गया है, जिसे अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय अनिवार्य रूप से भरा जाना आवश्यक है।

7- अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार किया जाये तथा गिरफ्तारी मेमो में अंकित सभी प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं को यथास्थान एवं त्रुटिरहित रूप से अंकित किया जाये। यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय कोई आपत्तिजनक या अवैध सामग्री बरामद होती है, जिसके लिए विस्तृत फर्द बरामदगी तैयार किये जाने की आवश्यकता हो तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार किया जाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि अभियुक्त के पास से बरामद सभी वस्तुओं का उल्लेख फर्द बरामदगी में ही किया जायेगा।

........4

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुए **"गिरफ्तारी मेमो"** तथा **"व्यक्तिगत तलाशी मेमो"** का प्रारूप सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध करा दे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराए।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रत्येक अभियुक्त के लिये अलग–अलग

गिरफ्तारी मेमो

(प्र0 सू0 रि0 सं0........................ दिनांक..................धारा....................................)

(थाना.....................जनपद......................)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1.	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	
2.	गिरफ्तार व्यक्ति के माता / पिता / पति का नाम	
3.	गिरफ्तार व्यक्ति का मो0 नं0 / आधार सं0	
4.	गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	
5.	गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	
6.	प्र0 सू0 रि0 सं0.................... धारांतर्गत.................................... थाना.............	
7.	गिरफ्तारी का स्थान	
8.	गिरफ्तारी की तारीख और समय	
9.	गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर / सूचना का माध्यम (धारा 48(1)BNSS)	
10.	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1)BNSS)	
11.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का नाम पद और PNO सं0	
12.	गिरफ्तारी के कारण	
(A)	पुलिस अधिकारी की उपस्थिति मे संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(a) BNSS	
(B)i.	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	
ii.	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	
iii.	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	
iv.	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न, जा सके	
v.	क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।	

	गिरफ्तारी के आधार	विवरण अंकित करें
	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ–साथ वादी मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	
ii.	वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट है।	
iii.	वह समस्त सामग्री/बरामदगी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है।	
iv.	विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई।	
v.	अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का विवरण।	
vi.	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध मे बी.एन.एस. की किन–किन धाराओं में सामग्री/साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक हैं, का विवरण।	
14.	सज्ञेय व जमानती मामलो में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2)ENSS)।	
15.	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि के निशान।	
A.	गिरफ्तारी के दौरान	
B.	या अन्यथा	
16.	यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/उसका/उसकी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया?(धारा 38 BNSS)	

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में भली भांति अवगत कराया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं BNSS के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व रैंक ____________
थाना __________
दिनांक ____________

प्राप्ति रसीद(एक प्रति प्राप्त की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	रिश्तेदार /मित्र / नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

गवाहों के नाम व हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम व पूरा पता व मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
गवाह 1		
गवाह 2		

Separate for each Accused

Arrest Memo

(Case F.I.R________ Dated____U/S____________)
(Police Station________District________)

(As per section 36 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023)

(As per direction of Hon'ble Supreme Court of India)

1.	Name with Alias and Age of Arrestee.	
2.	Name of Mother/Father/Husband of Arrestee	
3.	Mobile No./ Aadhar No. of Arrestee	
4.	Present Address of the Arrestee	
5.	Permanent Address of the Arrestee	
6.	FIR No.____________ Sec. of Law__________Police Station______________	
7.	Place of Arrest	
8.	Date & Time of Arrest	
9.	Name, address, email ID and phone number/mode of intimation of person to whom information has been given about arrest and place of detention (Section 48(1) BNSS)	
10.	Details of information given to the Nodal Police Officer (Section 48(1)BNSS)	
11.	Name, Rank & PNO No. of the officers making arrest.	
12.	Reasons for Arrest	
A.	For committing a cognizable offence in the presence of a police officer (Section 35(1)(a)BNSS)	
(B)i.	To prevent such person from committing any further offence	
ii.	For the proper investigation of offence	
iii.	To prevent such person from eliminating any witness of the offence or from tampering such witness in any manner	
iv.	To prevent such person from inducing, threatening or promising any person acquainted with the fact of the case so as to prevent him from disclosing such fact before the court or police officer	
v.	Because when such a person is not arrested then his presence in the court whenever required cannot be ensured	

13.	Ground for Arrest	Mention details
i.	How is arrest necessary in the light of the statement of the arrested person and evidence as well as statement given by informant	
ii.	All the material from which the involvement of arrested person in the crime in clear	
iii.	All the material on the basis of which the arrest of the person charged with the said offence is required	
iv.	All material collected by the investigating officer till the time of arrest in respect of the person arrested which necessitated the arrested	
v.	Details of the other material collected as documentary evidence, electronic evidence etc., relating to the person arrested	
vi.	Details of Sections of BNSS & other Laws where evidences/material is available against the person arrested which is required for arrest.	
14.	In cognizable and bailable offences, was he informed about the right to bail? (Section 47(2) BNSS)	
15.	Whether any visible signs of trauma/injury present on the body of the arrestee? (Section 38 BNSS)	
A.	During Arrest	
B.	Other	
16.	Whether the arrested person has been informed about his/her legal rights/ opportunity to meet a lawyer of his/her choice? (Section 38 BNSS)	

The accused was thoroughly informed about the reasons and grounds of arrest and his legal rights in the language understandable to him and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the provisions of the BNSS were followed during the arrest.

Signature of the Arresting Officer
Name and Rank ________
P.S ______
Dated ________

Received a Copy

Signature/Thumb Impression of Arrestee	Signature/Thumb Impression of Relative/Friend/Nominated Person

Name & Signature of Witnesses.

Sl. No	Name, Mobile No. and Complete Address of witness	Signature
Witness 1		
Witness 2		

(व्यक्तिगत तलाशी मेमो(बी.एन.एस.एस. की धारा 49 के अनुसार)

प्र.सू.रि. संख्या, धारा, थाना व जनपद	
अभियुक्त का नाम व उसके माता-पिता का नाम	
वर्तमान पता	
स्थाई पता	
व्यक्तिगत तलाशी की तिथि व समय	
व्यक्तिगत तलाशी का स्थान	
व्यक्तिगत तलाशी करने वाले का नाम	

श्री/श्रीमती ____________ को प्र.सू.रि. संख्या ____दिनांक ____धारा __के अन्तर्गत गिरफ्तार किए जाने पर उनके शरीर और कपड़ों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई। उनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान मिली निम्नलिखित वस्तुओं को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

क्र. सं.	तलाशी के दौरान मिली वस्तुओं का विवरण

व्यक्तिगत तलाशी के दौरान अभियुक्त को कोई क्षति या चोट नहीं पहुंची। (यहां उल्लेख करें कि क्या अभियुक्त ने व्यक्तिगत तलाशी का विरोध किया या उससे बचने का प्रयास किया)।

इस ज्ञापन की एक प्रति आरोपी को रसीद सहित प्राप्त करा दी गई है।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर जिसके द्वारा तलाशी ली गई

प्राप्ति रशीद(एक प्रति प्राप्त की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

गवाहों के नाम व हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम व पूरा पता	हस्ताक्षर
गवाह 1		
गवाह 2		

दिनांक:

समय:

नोट:- बाद में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए प्रत्येक बिंदु का यथासंभव गहनता से वर्णन करें।

Personal Search Memo (Ref. Section 49 of BNSS)

FIR No., Section, Police Station and District	
Name of Accused and parentage of accused.	
Present Address	
Permanent Address	
Date and time of Personal Search:	
Place where personal search was conducted:	
By whom personal search conducted:	

Sh/Smt.________________on being arrested in FIR No. ________dated ________u/s.________ was subjected to personal search of his/her body and apparel. The following items found during his/her personal search have been taken in police possession.

Sr. No.	Description of items found during personal search

No damage or injury was caused to accused during the personal search. (Here mention if the accused resisted or tried to evade personal search).

A copy of this memo has been handed over to accused under receipt.

Signature of Police Officer who conducted search

Received one copy

Signature/Thumb Impression of Arrestee

Name & address of Witnesses.

Sl. No	Name and Complete Address of witness	Signature
Witness 1		
Witness 2		

Date:

Time:

Note : Describe each item as minutely as possible to avoid any ambiguity at later stage.